छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में एक आरोपित के खिलाफ बगैर किसी साक्ष्य के आरोप लगाने पर ईडी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह एक पैटर्न बन गया है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपित अरविंद सिंह की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, 'यह एक पैटर्न है, जिसे ईडी ने कई मामलों में अपनाया है।

आप बगैर किसी साक्ष्य के केवल आरोप लगा रहे हैं। अभियोजन पक्ष इस तरह से कोर्ट के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा।' सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि अरविंद ने विकास अग्रवाल नामक व्यक्ति के साथ मिलीभगत करके 40 करोड़ रुपये कमाए।

इस पर जब कोर्ट ने पूछा कि क्या अग्रवाल को आरोपित बनाया गया है, तब जवाब में राजू ने कहा कि वह फरार है। पीठ ने कहा, 'आपने आरोप लगाया कि उन्होंने (सिंह) 40 करोड़ रुपये कमाए। अब आप इस व्यक्ति का इस कंपनी या किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं।'

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
ई-निविदा सूचना
अनु.क्र. 1. निविदा सूचना क्रमांक.:सीनी. डीईई-जी-आर-ओटीपी-24-25-39 दिनांक:

Scanned by CamScanner